अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्मिक(ख–3,सुरक्षा)विभाग

क्रमांकःप.4(35)कार्मिक/ख–3/सु./97 जयपुर,दिनांकः 02 जून 2006

प रि प त्र

शासन सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शासन सचिवालय परिसर में प्रवेश हेतु तत्काल प्रभाव निम्न प्रकार से निर्देश जारी किये जाते हैं:–

(1) जिन चार पहिया वाहनों को सचिवालय परिसर में प्रवेश हेतु स्थाई/अस्थाई प्रवेश–पत्र जारी किये गये हैं, उन प्रवेश–पत्रों को वाहन के विन्ड स्क्रीन पर इस प्रकार चिपकाना अनिवार्य है कि वह आसानी से नजर आवे।

(2) प्रवेश–पत्रधारी वाहन में केवल वह अधिकारी/कर्मचारी ही सचिवालय में प्रवेश का अधिकारी है, जिसके पास व्यक्तिगत रूप से सचिवालय में प्रवेश हेतु विधिमान्य प्रवेश–पत्र है। ऐसे वाहन के वाहन चालक के पास भी व्यक्तिगत रूप से विधिमान्य प्रवेश–पत्र होना अनिवार्य है।

(3) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों/वाहन चालकों के पास सचिवालय में प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से विधिमान्य प्रवेश–पत्र हैं उनके लिये अनिवार्य है कि जब तक वे सचिवालय परिसर में रहेंगे उक्त प्रवेश–पत्र को अपने बदन पर इस प्रकार धारण करेंगे कि वह आसानी से दिखाई दे। अगर प्रवेश–पत्रधारी अधिकारी/कर्मचारी/वाहन चालक द्वारा व्यक्तिगत प्रवेश–पत्र को दृष्टव्य रूप में धारण नहीं कर रखा है, तो उसे सचिवालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(4) अखिल भारतीय सेवाओं एवं राज्य सेवाओं एवं सचिवालय सेवाओं के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2005 में नवीन स्थाई परिचय–पत्र जारी किये गये हैं, उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये यह नवीन स्थाई परिचय–पत्र ही सचिवालय परिसर में प्रवेश हेतु प्रवेश–पत्र के रूप में मान्य है। इसके पूर्व जारी किये गये किसी भी प्रकार के प्रवेश–पत्र अवैध हैं और उन्हें निरस्त माना जाकर तत्काल कार्मिक (ख–3,सुरक्षा) विभाग में जमा करावें। पूर्व में जारी किये गये इन प्रवेश–पत्रों के आधार पर सचिवालय में प्रवेश मान्य नहीं है।

(5) सचिवालय में प्रवेश हेतु प्रवेश–पत्र धारक अधिकारी अपने प्रवेश–पत्र धारक वाहन में बिठाकर किसी ऐसे व्यक्ति को सचिवालय में अपने साथ ले जाने का अधिकारी नहीं है, जिसके पास स्वयं का व्यक्तिगत रूप से सचिवालय में प्रवेश हेतु निर्धारित विधिमान्य प्रवेश–पत्र नहीं है। अगर ऐसा पाया गया तो वाहन का प्रवेश–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) उच्च अधिकारीगण/शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारीगण/कर्मचारीगण जो आगन्तुकगण के लिये प्रवेश–पत्र की अभिशंषा करने के अधिकृत हैं, वे भी अपने साथ बिना प्रवेश–पत्र के किसी भी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश कराने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

(7) माननीय विधायकगण के साथ अगर कुछ व्यक्ति बिना प्रवेशपत्र वाले भी आते हैं तो उनको भी तब तक सचिवालय मे प्रवेश नहीं दिया जावेगा, जब तक कि वे अपना व्यक्तिगत प्रवेशपत्र नहीं बनवा लेते हैं।

(8) शासन सचिवालय परिसर में आमजन/आगन्तुकगण के प्रवेश हेतु अलग–अलग भवनों के लिये अलग–अलग रंग के प्रवेश–पत्र जारी किये जाते हैं। ऐसे प्रवेश–पत्र धारक आगन्तुकगण से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें **जिस भवन में प्रवेश हेतु प्रवेश–पत्र जारी किया गया है, उससे भिन्न भवन में प्रवेश नहीं करें, अन्यथा उन्हें अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया हुआ व्यक्ति मानकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।**

(9) सचिवालय के मुख्य भवन मे भी "मुख्य मंत्री खंड" के लिये अलग से **हरे रंग का प्रवेश** पत्र जारी किया जाता है। उक्त प्रवेशपत्र के बिना मुख्य मंत्री खंड मे प्रवेश की अनुमति नहीं है।

(10) **शासन सचिवालय में कार्यरत सुरक्षाकर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालना करेंगें और साथ ही अपेक्षा की जाती है कि अपने व्यवहार में विनम्र रहेंगे।**

शासन सचिवालय परिसर में कार्यरत अधिकारीगण / कर्मचारीगण / तथा आगन्तुकों से निवेदन है कि उपरोक्त व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।

शासन सचिव
कार्मिक विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री महो.,राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण एवं राज्यमंत्रीगण ।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान जयपुर ।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशत हेतु प्रेषित है।
6. समस्त विशिष्ठ शासन सचिव / शासन उप सचिव / विशेषाधिकारी ।
7. समस्त सहायक शासन सचिव / अनुभागाधिकारी।
8. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड।

उपशासन सचिव
कार्मिक (ख) विभाग